प्रकरण

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: भजिद बहस सुनी गई वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 31·7·25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31·7·25	पत्रावली आज पेश हुई .... पी.ओ. साहब छुट्टी/दौरे पर पधारे हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1·9·25 को पेश की जावे।	
1·9·25	पत्रावली आज पेश हुई वकील द्वारा कार्य स्थगन किया गया। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9·10·25 को पेश की जावे	
9·10·25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है। .... अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27·10·25 को पेश हो।	
27·10·25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेंगू द्वारा पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट पेश कि गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण मे एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण का अवलोकन किया गया। दावा पत्रावली मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली मे डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

.लय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

संख्या 82/2024

जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 कन्हैयालाल पिता उदा जाति कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
2 रामचन्द्र पिता उदा जाति कुमावत निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
3 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक ::– 27.10.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बिछोर पटवार मण्डल बिछोर की खाता संख्या 475 संवत 2078 में निम्न कृषि आराजीयात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी का 1/3 हक हिस्सा निहित एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा निहित अपने निहित हक हिस्से पर मौके पर काबीज होकर काश्त कर रहे है कृषि आराजी का जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
475	1935/519	0.7600
	1937/519	0.2600
	521	0.0600
	कीता–3 कुल रकबा	1.0800 हैक्टर

यह कि मौजा बिछोर पटवार मण्डल बिछोर की खाता संख्या 475 में वर्णित कृषि आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने निहित हक हिस्से पर काबीज होकर काश्त कर रहे है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कृषि आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने से आये दिन सीमा लगान आदि को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। जिसके स्थाई समाधान हेतु वादी ने दिनांक 23.08.2024 को प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया जिससे वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वाद कारण दिनांक 23.08.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि वादी का यह वाद मौजा बिछोर पटवार मण्डल बिछोर तहसील बेगूँ के खाता संख्या 475 में निहित हक हिस्सानुसार व मौके पर काबिजानुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (मिटस एण्ड बाउण्ड) के आधार पर कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु यह वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। मौजा बिछोर तहसील बेगूँ न्यायलय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से विभाजन का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान आपको प्राप्त होने से यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :–

(क) कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण यह वाद मौजा बिछोर पटवार मण्डल बिछोर तहसील बेगूँ के खाता सख्या 475 में अंकित आराजी संख्या 1935/519, 1937/519, 521 कुल कीता– 3 कुल रकबा 1.0800 हैक्टर में वादी का निहित हक हिस्सा 1/3 अनुसार मौके पर काबिजानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने की डिकी फरमाई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादी का खाता प्रतिवादीगण से पृथक पृथक दर्ज किये जाने की डिकी फरमाई जावें।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

कि वादव्यय वकील मेहनताना आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें। प्रवितादी सं0 3 भूमिधारी इस विभाजन के वादपत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा वादपत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में एक तरफा साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ पत्र वादी जगदीशचन्द्र पिता मथुरालाल कुमावत के प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षण में दस्तावेज प्रदर्श कराते हुए वादी साक्ष्य को पूर्ण किया गया। पत्रावली में साक्ष्य वादी की एकतरफा पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी एक तरफा बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए जमाबंदी में दर्ज वादीका हिस्सा 1/3 का बंटवाडा कर खाता पृथक करने का निवेदन किया गया। बहस सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तत प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादी का वर्णित कृषि आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज अंकित है। वादी अपने हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्राप्त है। जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने एवं प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बिछोर पटवार मण्डल बिछोर में स्थित आराजी संख्या 1935/519, 1937/519, 521 कुल कीता– 3 कुल रकबा 1.0800 हैक्टर में वादी का निहित हक हिस्सा 1/3 शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 का रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व2 के मध्य नियमानुसार करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, अंतिम डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/894 दिनांक 13.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बिछौर हल्का बिछौर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत हिस्सा सम्पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1935/519	0.1100
1937/519	0.2450
कीता– 02	0.3550 हैक्टर

.ा कन्हैयालाल पिता उदा हि. 1/3, जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 दा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, रामचन्द्र पुत्र उदा हिस्सा 1/2 कुमावत सा. देह ,तेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर
519	0.0600
1935/519	0.0500
1937/519	0.6000

कीता— 03 0.7100 हैक्टर

सामलातीः—

3— श्री कन्हैयालाल पिता उदा हि. 1/3, जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, सा.देह खातेदार श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, रामचन्द्र पुत्र उदा हिस्सा 1/3 कुमावत सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1937/519	0.0150

कीता— 01 0.0150 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या 82 / 2024

जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत निवासी विछोर तह0 वेगूँ
वादी

वनाम

1 कन्हैयालाल पिता उदा जाति कुमावत निवासी विछोर तह0 वेगूँ
2 रामचन्द्र पिता उदा जाति कुमावत निवासी विछोर तह0 वेगूँ
3 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब वेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बिछौर हल्का बिछौर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1— श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत हिस्सा सम्पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1935 / 519	0.1100
1937 / 519	0.2450
कीता— 02	0.3550 हैक्टर

2— श्री कन्हैयालाल पिता उदा हि. 1/3, जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, रामचन्द्र पुत्र उदा हिस्सा 1/2 कुमावत सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
519	0.0600
1935 / 519	0.0500
1937 / 519	0.6000
कीता— 03	0.7100 हैक्टर

सामलाती:—

3— श्री कन्हैयालाल पिता उदा हि. 1/3, जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, सा.देह खातेदार श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिछौर, रामचन्द्र पुत्र उदा हिस्सा 1/3 कुमावत सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1937 / 519	0.0150
कीता— 01	0.0150 हैक्टर

.तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक
. जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक .10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूं

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 /861 दिनांक :– 29-10-25

दावा संख्या 82 / 2024 व अनवान जगदीशचन्द्र वनाम कन्हैयालाल वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार वेगूं को दी जाती है ।

नक्शा ट्रेस सलंग्न

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूं